पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील संख्या 764/2013

==========

शीला देवी, श्री मिलिंद कुमार सिंह, की पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह, की पुत्री निवासी नया पारा, थाना.-दुमका, जिला-दुमका।

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

मिलिंद कुमार सिंह, पुत्र - स्व. चंद्र शेखर प्रसाद सिंह, निवासी - मोहल्ला - शास्त्री चौक, रिफ्यूजी कॉलोनी, मुंगेर, थाना - कोतवाली, जिला - मुंगेर।

.....प्रतिवादी/गण

==========

विचार के लिए विषयः क्या वैध नोटिस दिए बिना अपीलार्थी के एकतरफा विवाह को रद्द करने वाली पारिवारिक अदालत की डिक्री उचित थी।

अपीलार्थी (पत्नी) ससुराल का घर छोड़ दी - अपीलार्थी (पत्नी) ने धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज की- द.प्र.स की धारा 125 के तहत भरण पोषण वाद दर्ज की-प्रतिवादी (पति) ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (ए) (बी) और 5 (ii) (बी) के तहत वैवाहिक मामला दायर किया- अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था-अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ-गैर-उपस्थिति के कारण- मुकदमा एक-पक्षीय विवाह के रूप में घोषित किया गया-अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने कार्यालय को मेल में ले लिया और इस तरह कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया- यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं कि अपीलार्थी पर वैध सेवा थी जैसा कि वाद के आदेश पत्र से स्पष्ट है।

कहा गया: सुचना कूरियर के माध्यम से निर्गत की गयी थी न कि किसी पंजीकृत डाक के साथ-साथ सामान्य प्रक्रिया द्वारा। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9,12,15 और 17 में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया द्वारा तामिल करने के लिए कदम उठाए बिना अपीलार्थी की उपस्थिति के लिए कागज प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा के लिए स्वचालित रूप से निर्देश दिया। पारिवारिक अदालत से यांत्रिक तरीके से काम करने और मामले में इतनी लापरवाही से चलने की उम्मीद नहीं की जाती है। तलाक से संबंधित वैवाहिक विवाद में किसी पक्ष को समन की सेवा एक गंभीर मामला है क्योंकि यह जीवनसाथी के पूरे जीवन से संबंधित है।

एक-पक्षीय डिक्री अपीलार्थी पर नोटिस की सेवा न करने के आधार पर कानूनी रूप से अस्थिर है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 20 (1) और आदेश 5 नियम 20 (1-ए) - प्रतिस्थापित सेवा।

अभिनिर्धारित किया गया: न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9,12,15 और 17 में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया द्वारा तामिल के लिए कदम उठाए बिना प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन को स्वचालित रूप से मंजूरी नहीं देनी चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब सामान्य तरीके से नोटिस नहीं दिया जा सकता है तो अंतिम उपाय के रूप में प्रतिस्थापित सेवा का सहारा लेना चाहिए और अदालत संतुष्ट है कि यह मानने का कारण है कि समन की सेवा से बचा जा रहा है। [पैरा 7-12]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील संख्या 764/2013

==========

शीला देवी, श्री मिलिंद कुमार सिंह की पत्नी, स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह की पुत्री, निवासी - नया पारा, थाना-दुमका, जिला-दुमका।

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

मिलिंद कुमार सिंह, पुत्र - स्व. चंद्र शेखर प्रसाद सिंह, निवासी - मोहल्ला - शास्त्री चौक, रिफ्यूजी कॉलोनी, मुंगेर, थाना - कोतवाली, जिला - मुंगेर

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी/गण के लिए: श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री विनय कीर्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

श्री अखिलेश्वर सिंह, अधिवक्ता

श्री चैतन्य कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी ए वी निर्णय

(द्वारा: माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा)

तिथी: 01-03-2024

तत्काल अपील अपीलार्थी/पत्नी (संक्षिप्त में 'पत्नी' के लिए) द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेर द्वारा 2008 के स्वामित्व वाद (वैवाहिक) सं.97 में क्रमशः 04.02.2013 और 19.02.2015 के पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है, जहॉ और जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 5 (ii) (b) के साथ पठित पत्नी के खिलाफ प्रतिवादी/पति (संक्षिप्त में 'पति' के लिए) द्वारा दायर दिनांक 09.07.2008 की याचिका को एकतरफा अनुमति दी गई है और तदनुसार, पक्षकारों के बीच शून्यता की डिक्री द्वारा विवाह को रद् करने का फैसला सुनाया गया था।

2. संक्षेप में पति का मामला, जैसा कि अभिलेखों से प्रतीत होता है, यह है कि पक्षकार हिंदू हैं। उन्होंने 26.06.1991 पर शादी की थी। इसके बाद, दोनों पक्ष पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे। पति को एहसास हुआ कि पत्नी किसी मानसिक विकार से पीड़ित थी। इसके बाद, उन्हें नौगाचिया में डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ से उन्हें मनोचिकित्सक के पास भेजा गया और उन्हें रांची ले जाया गया, जहाँ उन्हें 'सिज़ोफ्रेनिया' से पीड़ित होने का पता चला। इसके बाद, उन्हें 21.09.1999 को 'सिज़ोफ्रेनिया' का दौरा पड़ा और डॉ. एस. पी. सिन्हा ने उनका इलाज किया। इसके बाद, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, उन्हें केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें 'सिज़ोफ्रेनिया' से पीड़ित घोषित किया गया और यह भी पता चला कि पत्नी 'सिज़ोफ्रेनिया' से पीड़ित थी और यह आनुवंशिकी से प्रभावित

थी और वह शादी के समय पागल थी। गर्भधारण के कार्य के प्रति पत्नी की ओर से लगातार तिरस्कार के कारण, विवाह पूरा नहीं हुआ था और पति द्वारा यह दावा किया गया था कि वह विवाह के समय नपुंसक थी। 30.01.2003 पर, पत्नी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ रहने के लिए दुमका चली गई। पति के प्रयासों के बावजूद, पत्नी उसके साथ शामिल नहीं हुई और पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) के तहत एक शिकायत मामला दर्ज किया, जिसे 2013 के नगर थाना वाद संख्या 215/2005 में परिवर्तित कर दिया गया। पत्नी ने वर्ष 2005 में पारिवारिक न्यायालय, दुमका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का मामला भी दायर किया, जिसमें परिवार न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने पति को पत्नी को अंतरिम राहत के रूप में 2,000/- रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके बाद, पति ने 2008 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (ii) (b) के साथ पठित धारा 12 (1) (ए) और (बी) के तहत एक वैवाहिक वाद संख्या 97/2008 दायर किया, जिसमें पत्नी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई। पत्नी की गैर-उपस्थिति के कारण, 2008 का स्वामित्व वाद (वैवाहिक) संख्या.97 दिनांकित 10.11.2009 के आदेश के अनुसार स्वपक्षीप कार्यवाही की गई। दलीलों और बयानों के आधार पर, परिवार न्यायालय, मुंगेर के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.02.2013 और डिक्री दिनांक 19.02.2023 के माध्यम से पत्नी की शादी को अमान्य घोषित कर दिया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

3. पत्नी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि क्रमशः 04.02.2013 और 19.02.2013 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित करते समय, विद्वान परिवार न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और खारिज कर दिया कि यद्पि पति उपस्थित हुआ, कारण दिखाएं और गवाहों को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुमका के समक्ष। विविध वाद संख्या 133/2015 और सी आर.पी.सी की धारा 125 (4) और (5) के तहत एक कार्यवाही, में प्रस्तुत किया लेकिन पति ने कभी भी विद्ान परिवार न्यायाधीश एवं पत्नी या

उसका संचालन करनेवाले वकील को स्वामित्व वाद संख्या 07/2008 दुमका में लंबित होने के बारे में सूचित नहीं किया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने कार्यालय में साठगाठ किया, जिसके परिणामस्वरूप पत्नी को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपील के तहत आक्षेपित निर्णय और डिक्री गलत विचार पर आधारित हैं क्योंकि विद्वान अदालत ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इस तथ्य को खारिज कर दिया कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि पत्नी पर वैध सेवा थी जैसा कि 2008 के स्वामित्व वाद (वैवाहिक) संख्या 97 के आदेश पत्र से स्पष्ट है।

4. दूसरी ओर, पति के विद्वान वकील ने विद्वान परिवार न्यायालय के फैसले और डिक्री को उचित ठहराते हुए कहा कि प्रकाशन के माध्यम से नोटिस पत्नी को कार्यवाही की पर्याप्त सूचना है और चूंकि, इस तरह के प्रकाशन के बावजूद, पत्नी उपस्थित होने में विफल रही, इसलिए निचली अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वैवाहिक मुकदमे का लंबित होना पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी में था, लेकिन उसने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान लगभग पांच साल तक पेश नहीं होने का फैसला किया। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और डिक्री में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान वकीलों की उचित सुनवाई के बाद और निचली अदालत के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम यह कि एक-पक्षीय डिक्री पत्नी को नोटिस न दिए जाने के आधार पर कानूनी रूप से अस्थिर है और उसी को पुनः विचारण के लिए रिमांड करने की आवश्यकता है, हम पक्षों के अभिवचनों के विवरण में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उसकी गणना पर कोई भी अवलोकन किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है जब मामले को विद्वत निचली अदालत द्वारा गुण-दोष के आधार पर फिर से चलाया जाता है।

6. यह जाँचने के उद्देश्यों के लिए कि क्या विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा डिक्री सही ढंग से पारित की गई थी, हमने विद्वत विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि मुकदमा 09.07.2008 को दायर किया गया

था। 06.08.2008 को, विद्वान परिवार न्यायालय ने कूरियर के माध्यम से पत्नी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और तदनुसार, उसी के लिए आवश्यक कागजात दायर की गईं। इसके बाद, कूरियर के माध्यम से 14.08.2008 पर नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा, दिनांकित 16.10.2008 आदेश पत्र से, यह प्रतीत होता है कि नोटिस की सेवा को अस्वीकार करने के आधार पर वैध रूप से प्रदान किया गया था। इसके बाद, कई तारीखों पर पत्नी की उपस्थिति का मामला तय किया गया। दिनांकित 02.09.2009 आदेश पत्र से पता चलता है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने पति के विद्वान वकील के अनुरोध पर पत्नी की उपस्थिति के लिए समाचार-पत्र प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा के लिए निर्देश दिया था। इसके बाद, 04.09.2009 पर, प्रकाशन का प्रारूप दाखिल किया गया और कार्यालय को इसके उचित सत्यापन के बाद इसे जारी करने का निर्देश दिया गया। 16.09.2009 पर, पति की ओर से, नोटिस को प्रकाशन का पेपर कटिंग दायर किया गया था जिसमें पत्नी को 07.10.2009 को पारिवारिक न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया था और उस तारीख को, वह उपस्थित नहीं हुई और 10.11.2009 को अगली तारीख तय की गई थी। इसके बाद, 10.11.2009 का, जब पत्नी विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुई, तो मामला पत्नी के खिलाफ एकतरफा आगे बढ़ा और अंततः, एक एकतरफा निर्णय और डिक्री क्रमशः 04.02.2013 और 19.02.2013 पर पारित की गई।

7. जाहिर है, इस मामले की सुनवाई पत्नी के खिलाफ विद्वान पारिवारिक न्यायालय में एकतरफा की गई थी। सबसे पहले, कूरियर के माध्यम से पत्नी को नोटिस जारी किया गया था जिसमें सेवा रिपोर्ट से पता चलता है कि 'नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया', जो किसी पंजीकृत डाक के साथ-साथ सामान्य प्रक्रिया के बिना था। इसके बाद, पति के विद्वान वकील के अनुरोध पर, कागजी प्रकाशन के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, अभिलेखों से, हमें उक्त उद्देश्य के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (तत्पश्चात् 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के आदेश 5 नियम 20 के तहत कोई आवेदन नहीं मिलता है। यहां तक कि

दिनांकित 02.09.2009 आदेश में भी उस समाचार पत्र का नाम उल्लेख नहीं है जिसमें नोटिस प्रकाशित किया जाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस हिंदुस्तान स्थानीय संस्करण, भागलपुर, बिहार नामक एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, लेकिन पत्नी का पता झारखंड राज्य के दुमका में है।

8. इसके अलावा, संहिता के आदेश 5 में समन जारी करने और सेवा देने का प्रावधान है। इसके नियम 9 में यह प्रावधान है कि जहाँ प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर रहता है जिसमें वाद स्थापित किया गया है, या उस अधिकार क्षेत्र के भीतर निवासी एक एजेंट है जो समन की सेवा स्वीकार करने के लिए सशक्त है, समन जब तक दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं, या तो उचित अधिकारी को या उसके अधीनस्थों में से एक को या ऐसी कूरियर सेवाओं को वितरित या भेजा जाएगा जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हैं। नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत, समन की सेवाएं प्रतिवादी या सेवा स्वीकार करने के लिए सशक्त उसके एजेंट या स्पीड पोस्ट या अदालत द्वारा अनुमोदित ऐसी कूरियर सेवाओं को संबोधित करके देय पंजीकृत डाक पावती द्वारा उसकी एक प्रति वितरित या प्रेषित करके की जा सकती हैं।

9. संहिता के आदेश 5 का नियम 17 उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जब प्रतिवादी सेवा स्वीकार करने से इनकार करता है, या पाया नहीं जा सकता है। इसमें प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी नहीं पाया जाता है, तो सेवारत अधिकारी समन की एक प्रति बाहरी दरवाजे या घर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाएगा जिसमें प्रतिवादी सामान्य रूप से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और फिर मूल को उस अदालत को वापस कर देगा जहां से यह जारी किया गया था, जिस पर एक रिपोर्ट का समर्थन किया गया था या उसमें संलग्न किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसने इस तरह से प्रति चिपकाई है, जिन परिस्थितियों के तहत उसने ऐसा किया था, और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा घर की पहचान की गई थी और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी।

संहिता के आदेश 5 के नियम 19 के तहत, सेवारत अधिकारी का परीक्षता आवश्यक है जहां नियम 17 के तहत समन वापस किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

10. न्यायालय सेवारत अधिकारी के परीक्षण के बाद संतुष्ट होने पर कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है, न्यायालय में किसी विशिष्ट स्थान पर और घर के किसी विशिष्ट हिस्से (यदि कोई हो) पर भी चिपकाकर सेवा का निर्देश देने के लिए नियम 20 (1) का आह्वान करने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसमें प्रतिवादी को अंतिम बार रहने या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है, या इस तरह से अन्य तरीके से जो अदालत उचित समझती है। इस प्रकार, प्रतिस्थापित सेवा को निर्देशित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले संहिता के आदेश 5 के नियम 9 और 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके अलावा, संहिता के नियम 20 (1-ए) में यह प्रावधान है कि जहां उप-नियम (1) के तहत कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में एक विज्ञापन द्वारा सेवा का आदेश देता है, अखबार उस इलाके में प्रसारित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र होगा जिसमें प्रतिवादी को वास्तव में और स्वेच्छा से रहने, व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है।

11. वर्तमान मामले में, कूरियर के माध्यम से भेजे गए नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन यह अभीलेख पर नहीं आया है कि इस तरह का समर्थन किसने किया है। समर्थन बिना किसी संक्षिप्त हस्ताक्षर, हस्ताक्षर या नाम के है। आगे प्रतिस्थापित सेवा के लिए यद्पि प्रकाशन के माध्यम का सहारा लिया गया था, लेकिन यह दुमका, झारखंड के स्थानीय समाचार पत्र में नहीं था।

12. माननीय सर्वोच्च न्याया ने **(1997) 11 एस.सी.सी 159** में प्रतिवेदित **यल्लावा बनाम शांतव्वा**, के मामले में माना है कि निचली अदालत संहिता के आदेश 5 नियम 12,15 और 17 द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया द्वारा प्रतिवादी की सेवा के लिए कदम उठाए बिना लगभग स्वचालित रूप से प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन को मंजूरी नहीं दे सकती थी। यह

ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रतिस्थापित सेवा का अंतिम उपाय के रूप में सहारा लिया जाना चाहिए जब प्रतिवादी को सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती है और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि यह मानने का कारण है कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है, या कि किसी अन्य कारण से समन सामान्य तरीके से नहीं दिया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग स्वतः ही प्रतिस्थापित सेवा की प्रक्रिया का सहारा लिया गया था। तत्काल मामले में भी, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, विद्वत निचली अदालत ने संहिता के आदेश 5 नियम 20 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्तों के बारे में संतुष्टि दर्ज किए बिना लगभग तुरंत प्रार्थना की अनुमति दे दी है।

13. विद्वान परिवार न्यायालय से यांत्रिक तरीके से काम करने और मामले में इतनी लापरवाही से चलने की उम्मीद नहीं थी। तलाक संबन्धित वैवाहिक विवाद में पत्नी को समन की सेवा में एक गंभीर मामला है क्योंकि यह उस पति या पत्नी के पूरे जीवन से संबंधित है जिसके खिलाफ तलाक की डिक्री मांगी गई है और सेवा की कल्पना नहीं की जा सकती है।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि पत्नी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया था और प्रतिस्थापित सेवा का निर्देश देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया दूषित है, पत्नी ने उस तारीख को विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष अपनी गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण दिखाया है जब उसे एकतरफा आगे बढ़ाया गया था, इसलिए, उसके खिलाफ पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार किया जाना चाहिए। तदनुसार, 2008 के स्वामित्व वाद (वैवाहिक) संख्या 97 में पारित 04.02.2013 दिनांकित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, 19.02.2013 दिनांकित एकपक्षीय डिक्री को भी दरकिनार कर दिया जाता है। 2008 का स्वामित्व वाद (वैवाहिक) संख्या 97 विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेर की संचिका पर पुनर्स्थापित किया जाता है। संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद, इस निर्णय की प्रति

की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए मामले को विद्वान परिवार न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।

15. हम पक्षों को 15.03.2024 पर विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हैं। विद्वान परिवार न्यायालय पक्षकारों को कोई नया नोटिस जारी नहीं करेगा।

16. निचली अदालत के अभिलेख को तुरंत विद्वत निचली अदालत में वापस भेजा जाए।

17. परिणामस्वरुप, अपील की अनुमति दी जाती है, पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड दिया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार झा, न्यायाधिश)

वि.के पांडेय/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।